न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 43/2024

अनवान :

राजकुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. सतपाल पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भंवरी देवी पत्नी दलीप सिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राममूर्ति ताखर **: वादी**

वकील श्री राधेश्याम **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3,5**

निर्णय

दिनांक : 13.12.24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 228/167 के मु0नं0 45 के कि0न0 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 67 के कि0न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 68 के कि0न0 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 3.5420 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 16/11 के मु0न0 183 के कि0न0 4 की 0.253 है0, कि0न0 5/2 की 0.1140 है0, कि0न0 6/2 की 0.013 है0, कि0न0 7/2 की 0.152 है0, कि0न0 14/2 की 0.013 है0, कि0न0 15/2 की 0.2020 है0, कि0न0 16 की 0.253 है0, कि0न0 17/2 की 0.2020 है0, मु0 न0 184 के कि0न0 16 की 0.228 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, कि0न0 25 की 0.228 है0 मु0न0 185 के कि0न0 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 188 के कि0न0 1 ता 5, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 189 के कि0न0 5 की 0.228 है0 कुल 6.1870 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 24/21 के मु0न0 112 के कि0न0 6 ता 9, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 157 के कि0न0 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 166 के कि0 न0 9, 11, 12, 20 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 231 के कि0न0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 6.8310 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजकुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा 9 जे0एस0एल0 खाता संख्या 24/21 सम्वत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा खाता संख्या 16/11 सम्वत 2075–2078 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा खाता संख्या 228/167 सम्वत 2075–2078 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा 9 झांसल खाता संख्या 45 सम्वत 2029–2038 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा खाता संख्या 126/119 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा खाता संख्या 61 संवत 2029–2038 प्रदर्श 6, जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा बारानी खाता संख्या 15 संवत 2029–2038 प्रदर्श 7 सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 8, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा व 9 जे0एस0एल0 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 9 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 228/167 के मु0नं0 45 के कि0न0 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 67 के कि0न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 68 के कि0न0 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 3.5420 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 16/11 के मु0न0 183 के कि0न0 4 की 0.253 है0, कि0न0 5/2 की 0.1140 है0, कि0न0 6/2 की 0.013 है0, कि0न0 7/2 की 0.152 है0, कि0न0 14/2 की 0.013 है0, कि0न0 15/2 की 0.2020 है0, कि0न0 16 की 0.253 है0, कि0न0 17/2 की 0.2020 है0, मु0 न0 184 के कि0न0 16 की 0.228 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, कि0न0 25 की 0.228 है0 मु0न0 185 के कि0न0 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 188 के कि0न0 1 ता 5, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 189 के कि0न0 5 की 0.228 है0 कुल 6.1870 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 24/21 के मु0न0 112 के कि0न0 6 ता 9, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 157 के कि0न0 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 166 के कि0 न0 9, 11, 12, 20 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 231 के कि0न0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 6.8310 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का नाम कलमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 228/167 के मु0नं0 45 के कि0न0 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 67 के कि0न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 68 के कि0न0 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 3.5420 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 16/11 के मु0न0 183 के कि0न0 4 की 0.253 है0, कि0न0 5/2 की 0.1140 है0, कि0न0 6/2 की 0.013 है0, कि0न0 7/2 की 0.152 है0, कि0न0 14/2 की 0.013 है0, कि0न0 15/2 की 0.2020 है0, कि0न0 16 की 0.253 है0, कि0न0 17/2 की 0.2020 है0, मु0 न0 184 के कि0न0 16 की 0.228 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, कि0न0 25 की 0.228 है0 मु0न0 185 के कि0न0 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 188 के कि0न0 1 ता 5, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 189 के कि0न0 5 की 0.228 है0 कुल 6.1870 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 24/21 के मु0न0 112 के कि0न0 6 ता 9, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 157 के कि0न0 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 166 के कि0 न0 9, 11, 12, 20 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 231 के कि0न0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 6.8310 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का नाम कलमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 तथा 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 43/2024

अनवान :

राजकुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. सतपाल पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भंवरी पत्नी दलीप सिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 228/167 के मु0नं0 45 के कि0न0 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 67 के कि0न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 68 के कि0न0 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 3.5420 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 16/11 के मु0न0 183 के कि0न0 4 की 0.253 है0, कि0न0 5/2 की 0.1140 है0, कि0न0 6/2 की 0.013 है0, कि0न0 7/2 की 0.152 है0, कि0न0 14/2 की 0.013 है0, कि0न0 15/2 की 0. 2020 है0, कि0न0 16 की 0.253 है0, कि0न0 17/2 की 0.2020 है0, मु0 न0 184 के कि0न0 16 की 0.228 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, कि0न0 25 की 0.228 है0 मु0न0 185 के कि0न0 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 188 के कि0न0 1 ता 5, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 189 के कि0न0 5 की 0.228 है0 कुल 6.1870 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 24/21 के मु0न0 112 के कि0न0 6 ता 9, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 157 के कि0न0 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 166 के कि0 न0 9, 11, 12, 20 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0न0 231 के कि0न0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 6.8310 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का नाम कलमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 तथा 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.12.24 को मेरे हस्ताक्ष... लय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner